न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 28/ 22 वर्ष 2022

जीसीएमएस संख्या:— (2022/258)

बउनवानी:—1. श्योजी पुत्र स्व0 कल्याण गुर्जर निवासी भेडोली तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी(आवंटन अधिकारी) सवाईमाधोपुर
2. उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा
3. अंजना पत्नि स्व0 मथुरालाल गुर्जर निवासी भेडोली तह0 चौथ का बरवाडा
4. गिर्राज पुत्र स्व0 मथुरालाल गुर्जर निवासी भेडोली तह0 चौथ का बरवाडा
5. भोजराज पुत्र स्व0 मथुरालाल गुर्जर निवासी भेडोली तह0 चौथ का बरवाडा

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 11.6.2002 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थित:— 1. श्री छोटू सिंह गुर्जर वकील प्रार्थी
2. श्री अजेय शेखर दवे वकील अप्रार्थी 3—5

—: निर्णय :— दिनांक 25.2.2026

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 11.6.2002 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 ग्राम भेडोली तहसील चौथ का बरवाडा के निवासी है तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधि विरूद्व एवं अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश जैर अपील बिना मौके एवं रिकार्ड की जॉच किये ही पारित किया है इसलिए निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आराजी ख0न0 144 रकबा 0.3400 है0 गै0मु0 खाल की भूमि है जिसका उपयोग प्रार्थी एवं अन्य ग्रामीणो के खेतो का पानी निकासी हेतु करते है इसलिए प्रार्थी व्यथित होने के कारण प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटन आदेश दिनांक 11.6.2002 को निरस्त कराने का अधिकार रखता है। यह तर्क भी दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 मे प्रतिबंधित भूमि का अंकन कर रखा है जिसमे गैर मुमकिन खाल की भूमि भी आती है जिसमे किसी भी व्यक्ति की खातेदारी अधिकार उद्व्भूत नही होते है ओर ना ही इस प्रकार की भूमि का किसी व्यक्ति को नियमानुसार आवंटन किया जा सकता है। अप्रार्थीया क्रमांक 3 व उसके पति तथा अप्रार्थी संख्या 4 एवं 5 के पिता को किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शुन्य है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ख0न0 144 रकबा 0.34 है0 के साबिक ख0न0 54 है जो कि गै0मु0 नाला (खाल) की भूमि दर्ज है। जो आवंटन योग्य नही है। इस प्रकार रिकार्ड का भली भांति अवलोकन किये बिना ही आवंटन सलाहकार समिति की गलत सिफारिश के आधार पर किया गया आवंटन विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। आवंटी मथुरालाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त भूमि अप्रार्थी क्रमांक 3 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज होने से आवश्यक पक्षकार है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मथुरालाल पुत्र रामनारायण एवं अंजना पत्नि मथुरालाल गुर्जर निवासी भेडोली को गै0मु0 खाल मे आवंटन किया है जिसपर उन्होने पटवारी हल्का से जॉच रिपोर्ट तलब की जाने पर हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2035—38 का हवाला देकर तथ्य छिपाकर गलत रिपोर्ट पेश की जिसमे भूमि को बारानी दिखाया है जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2035—38 में भूमि का प्रकार गै0मु0 खाल दर्ज है। उक्त आवंटन को निरस्त करवाने की कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.11.2022 को तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था किन्तु तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदेश जैर निगरानी आवंटन आदेश दिनांक 11.6.2002 को खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन के समय आवंटी के परिवार के पास कुल 5.54 है0 असिंचित भूमि थी जिसमे से आवंटी के हिस्से मे 1.06 है0 भूमि आती है। इस प्रकार आवंटी_भूमिहीन कृषक होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम भेडोली के आराजी ख0न0 144 रकबा 0.34 है0 किस्म बारानी का आवंटन किया गया तथा बारानी भूमि के आवंटन किये जाने से किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 का उल्लंघन नही होता है। यह तर्क भी दिया कि आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त आवंटन नियम, 1970 की धारा 14(4)के प्रार्थना पत्र से आवंटी का आवंटन खारिज नही किया जा सकता है। कथन के समर्थन में आरआरडी 14.8.2018 पेज संख्या 479–485 एवं (2019 आरबीजे 77 पेज संख्या 77–81) पेश किया गया। यह तर्क भी दिया उक्त भूमि साबिक ख0न0 54 वर्ष 1981 से पूर्व भी सिवायचक लगानी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी जिसको नामा0 संख्या 160 दिनांक 18.5.1981 से गै0मु0 खाल सिवायचक बिला लगानी दर्ज की गयी है। किन्तु मौके पर कोई खाल या नाला नही है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार ख0न0 205 गै0मु0 नाला दर्ज रिकार्ड है जो ख0न0 144 से दूर है उक्त दोनो ख0न0 के बीच ख0न0 147 है। ख0न0 144 रकबा 0.34 है0 की किस्म आवंटन के समय बारानी–3 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। इसलिए उक्त आवंटन आदेश मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया।

तहसीलदार चौथ का बरवाडा से तलब की गयी रिपोर्ट के अनुसार साबिक ख0न0 54 मिन से बने हाल ख0न0 144 रकबा 0.34 है0 किस्म बारानी–3 दिनांक 19.5.1981 से 2002 तक राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। नामा0 संख्या 160 निर्णय दिनांक 18.5.1981 द्वारा साबिक ख0न0 54/1 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा किस्म बजंड की किस्म परिवर्तित कर गै0मु0 खाल दर्ज की गयी जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत,2044–47 है। भूप्रबंध विभाग द्वारा उक्त ख0न0 की किस्म बारानी दर्ज की गयी है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि आवंटन पत्रावली के अनुसार आदेश जैर निगरानी से संबंधित भूमि साबिक ख0न0 54 मिन मे से बने हाल ख0न0 144 रकबा 0.34 है0 आवंटन के समय बारानी–3 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रिकार्ड थी तथा आवंटन के समय आवंटी के नोशनल शेयर मे 1.06 है0 भूमि होने से आवंटी को भूमि आवटित की जा सकती है। आवंटन के समय आवंटित भूमि की किस्म बारानी–3 होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 का उल्लंघन नही हुआ है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे वर्ष 1947 मे गै.मु. खाल, नदी, नाले की भूमियों का आवंटन अवैध माना गया है किन्तु उक्त प्रकरण मे भूमि की किस्म 1981 मे परिवर्तित की गयी है इसलिए उक्त निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त बिना किसी विधिक कारण के आवंटन खारिज किया जाना न्यायसंगत नही है, वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया जिसके आधार पर उक्त आवंटन को विधिविरूद माना जा सके। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2026 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner